

11/2  
21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वारीगण क्रि.नुं। न्यायालय  
के प्रकारे जाने पर नां वी वकील वारीगण ना  
ही वारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये।  
अतः न्यायालय दफ्तर वार को अदम हाजिरी  
अदम पैली में खारिज करता है। पत्रावली  
के लक्ष्यमात्र होकर निपटारा न किये गए  
हो नकर ले कर है।

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़

